न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद

क0न0 29535/22
श्रीमती शकुन्तला देवी बनाम विनोद कुमार

दि0: 22.9.2022

यह प्रार्थना पत्र आवेदिका शकुन्तला देवी द्वारा अन्तर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया है।

आवेदिका का प्रार्थना पत्र में अभिकथन है कि दिनांक 21.7.2022 को शाम लगभग 4.30 बजे दिन में प्रार्थिनी अपने घर पर बैठी थी उसी समय थानाध्यक्ष खीरी अनिल कुमार, विनोद कमार एस0आई0 व होमगार्ड व दो सिपाही आये और उसके घर में जबरन घुस गये। विपक्षीगण जबरन उसके साथ छेडखानी करने लगे। मना किया तो विनोद कुमार जबरन पकडकर लिपट गये और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने लगे। वह छूटाकर घर मे भागी तो घर के अन्दर मारा पीटा। शोर पर काफी लोग आ गये तो विपक्षीगण मां बहन की गालियां देने लगे और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना अपर पुलिस महानिदेशक व वरष्ठि पुलिस अधीक्षक को मिलकर व डाक द्वारा दिया । परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

आवेदिका के अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र के तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा विपक्षीगण सरकारी सेवको पर आवेदिका के घर में घुसने तथा विपक्षी संख्या 1 के द्वारा आवेदिका के साथ छेडखानी करने बलात्कार का प्रयास करने कपड़े फाड़ने तथा मारपीट करने का आक्षेप अभिकथित किया गया है। प्रार्थना पत्र के प्रस्तर संख्या 3 में आवेदिका द्वारा विपक्षी संख्या 1 पर गाली देने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप अभिकथित किया गया है।

सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के द्वारा सम्बन्धित थाने पर एक अभियोग अ0स0 190/21 अन्तर्गत धारा 452,323,506 भा0द0स0 राधेश्याम उर्फ सुग्गी लाल तथा तीन अन्य पर पंजीकृत कराया गया तथा आवेदिका के परिजनो के विरूद्ध भी मु0अ0स0 संख्या 169/22 अन्तर्गत धारा 504,506 भा0द0स0 पंजीकृत है। विपक्षी संख्या 1 तथा एक अन्य होमगार्ड उक्त अभियोग की विवेचना के संदर्भ में सम्बन्धित ग्राम में गये थे।

आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 1 व 2 के अतिरिक्त थानाध्यक्ष तथा दो अन्य पुलिसकर्मी को पक्षकार बनाया है। जबकि थाने से प्राप्त आख्या तथा आवेदिका के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रानिक पेन ड्राइव के वीडियो से अन्य तीन विपक्षीगण की उपस्थिति स्पष्ट नहीं होती है। आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र के प्रस्तर संख्या 2 में विपक्षी संख्या 1 द्वारा छेड़खानी करने तथा बलात्कार का प्रयास करने का आरोप अभिव्यक्त किया गया। उक्त तथ्य भी इलेक्ट्रानिक साक्ष्य से पुष्टि नहीं होता है।

थाने से प्राप्त आख्या अनुसार विपक्षी संख्या 1 व 3 घटनास्थल पर मु0अ0स0 169/22 व 190/21 की विवेचनात्मक कार्यवाही के संदर्भ में घटनास्थल पर गये थे।

जिससे स्पष्ट है कि विपक्षीगण अपने पदीय कर्तव्यों के अनुपालन में कार्यरत थे। पदीय कर्तव्यों के अनुक्रम में किये गये कार्यो के संदर्भ में संज्ञान हेतु धारा 197 द0प्र0स0 के अधीन संस्तुति आवश्यक है जो पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, उपलब्ध कराने इलेक्ट्रानिक साक्ष्य तथा थाने से प्राप्त आख्या से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र वास्तविक तथ्यों को छिपाकर घटना के तथ्यों को बढ़ाचढ़ा कर बनावटी तथ्यो के आधार पर सरकारी सेवको पर दबाव बनाने हेतु न्यायिक प्रक्रिया के दुरूयोग में प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त के प्रकाश में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

इलाहाबाद